

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्रावि/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ: दिनांक: 18-5-2019

:-कार्यालय द्वारा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से स्थापित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता कुंठि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मर-3 में विस्तार इन फार्मसी पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली नई संस्था का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श के निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

"ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में संलग्नक-2 में अंकित पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा फार्मसी संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-2 में अंकित संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि संस्थाओं को डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संसुति सत्र 2019-20 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग कार्यक्रम होने के पूर्व पी0सी0आई0 अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही की जाएगी।"

अतः निम्नानुसार संशोधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा की गयी संसुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अर्जन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था सं. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2723	सत्यमेव जयते शोध प्रयोग संस्थान, सिद्धार्थ, बिहार बिहार प्रो. लखनऊ	डिप्लोमा इन फार्मसी	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पूर्ण पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982 तथा अन्य निर्धारित विनियम एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा सुदूर विद्यमान समिति द्वारा निर्धारित सुदूर स्वीय इन्वी0 पाठ्यक्रमों हेतु रु० 20,150,00/- प्रतिवर्ष या स्वीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45,00,00/- प्रतिवर्ष एवं एन तथा दो स्वीय पाठ्यक्रमों (एन स्वीय फार्मसी पाठ्यक्रम को अतिरिक्त) हेतु रु०- 22,50,00 प्रतिवर्ष सुदूर ही परीक्षा उत्तर/पत्रों में प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर/पत्रों में सुदूर से सम्बद्धता के संबंध-समय पर सुदूर द्वारा निर्णय किये जाने वाले मामलों/संशोधनों हेतु, और संयुक्त कार्यक्रमों किये जाने आवश्यक होगा। जैसे निम्नलिखित समिति द्वारा तारी सत्र 2019-20 हेतु पी0सी0 का पुनर्निर्माण किया जाता है, या बीस की नवीनतम तार जम्, इत्यादि।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा अभियंता तथा उप समितिओं, संस्थाओं एवं सम्बद्ध केंद्रों जैसा) विनियमनकाली-2003 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा जसिब द्वारा आयोजित प्रवेश को ही प्रवेश दिया जाएगा। शीटों के बिना यह प्रवेश की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को संस्था-समय पर निर्देशात्मक आदेशों के अनुसार नियोजन एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्था को एडमिशन/रीजिस्ट्रेशन से आगामी एक हेतु अनुपालन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बन्दों एवं विधि/विधियों/अधिनियमों/शासनानुदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, 0890, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 0890 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 0890 द्वारा बंगाल एवं विधियों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विद्यमान इन शर्तों की पारदर्शकता को संस्थाएं यदि पीजीआई नई दिल्ली से अनुपालन प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं तो इन शर्तों में समस्त आवश्यकताओं संस्था को ठीक और विधिगत रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश शासन की कोई भी कार्यवाही संस्था को नहीं करवाएगी।
- ✓ विद्यमान इन शर्तों की पारदर्शकता संधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश की को लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु अनुपालित प्रारंभ होने की पूर्व शर्तों/अर्हता से अनुपालन प्राप्त कर परिषद/आयोजक को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यान्वयन के माध्यम से संस्था संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित नवीकरण आवश्यक नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, सार-संस्था, उपकरण, प्राप्त किया जाना करना सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्था को निर्देश-प्रतिपालन हेतु उपरोक्त आवश्यकताओं को पालन करने के साथ-साथ संस्था के सम्बद्ध में समस्त आवश्यकताओं सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो कि संस्था में प्रस्तावित/संघटित पारदर्शकता को पालन करने हेतु निर्देशक समिति के समस्त उपलब्ध बंधों एवं अधिनियम, मुक्ति-समान, प्रतीक, आंतरिक रूपों के प्रति संस्था द्वारा किसी अन्य पारदर्शकता के संघटन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसके जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है जो उत्तर प्रदेश शासन की सम्बद्धता संसाधन केंद्रों की अनुपालन की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विद्यमान/उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

(सजीव कुमार सिंह)
सचिव

मुद्रांक- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2019/1133-2252

तार दिनांक: 18-5-2019

प्राथमिक शिक्षा-प्रधानाचार्य/निदेशक, समर्थन शासन और प्राथमिक, गंगाला, कानपुर, देवा रोड, लखनऊ

(सजीव कुमार सिंह)
सचिव

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्रावि/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक 15-8-2020

--कार्यालय आप--

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मनी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संविद्य सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अखिल प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक में पद-3 में डिप्लोमा इन कार्मनी पाठ्यक्रम संघालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

पिन्नी बीए में स्थापित डिप्लोमा इन कार्मनी पाठ्यक्रम संघालित करने वाली संस्थाएँ, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीएनटीआईओ द्वारा उन्हें स्थापना अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीएनटीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनसे नाम के समुदाय अर्थात् पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्बन्धी से पीएनटीआईओ द्वारा प्रदत्ता अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 की अह्ता सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अर्थात् प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीएनटीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीएनटीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2723	सर्पना जॉबिंग अफ कार्मनी, पोसाह किण्ट टैरा रोड, लखनऊ।	डिप्लोमा इन कार्मनी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एओआई/पीएनटीआईओ/पीएनटीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982 सेक्टर विनियमवली-2014 तथा अन्य विहित विधम एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क टीम वरीय इन्टी पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 30,00,000/- प्रतिवर्ष, दो वरीय कार्मनी पाठ्यक्रम हेतु ₹ 40,00,000/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वरीय पाठ्यक्रमों (दो वरीय कार्मनी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹ 22,50,00,000 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के संबंध में समय-समय पर सारणी द्वारा निर्णय किये जाने वाले सारनामदेक प्रस्तावी होंगे, और तदनुसार कार्मनी शिक्षा

(Handwritten Signature)

संघ आवश्यक होगा। वीरग विधायक समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु वीरग का पुनर्निर्वाण किया जाता है, तो वीरग को वीरगठन कर लिया जाये।

- ✓ संघ को 2020 प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को संबद्ध किया जाये।
- ✓ विविधतापूर्ण-200 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संघ में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संघ को सत्र-सत्र पर निर्दिष्ट शारदादेश के अनुसार निरिक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संघ को 2020सीटों/पीसीआई/पीसीआईए व आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाये आवश्यक होगा।
- ✓ संघ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये विधि/विधायक/अभियंता/शास्त्रादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक प्राथमिक शिक्षा 2020 संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद 2020 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद 2020 द्वारा बनाये गये विधायक, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने में विवेक बरतना होगा।
- ✓ विधायक इन कार्यों को पारदर्शक रूप में संचालित करेगी यदि पीसीआई, आई विद्यापीठों अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस अवस्था में समस्त उत्तरदायित्व संघों का होगा और विधायक को वे विद्यापीठों कार्यवाही के लिए संघ से पत्राचार करेगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कार्य-कारण पत्र लिखा जाता है तथा कार्य-कारण के संघ में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कठिनाई लक्ष्मी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संघों को करनी होगी।
- ✓ विधायक इन कार्यों को पारदर्शक संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित वर्ष के लिए आवंटित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालयित प्राप्त होने के पूर्व पीसीआई/पीसीआईए से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (कार्यालयित को माध्यम से अथवा संघों के माध्यम से सीधे करेगी) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्देश, नवीनतम आदेश विद्यापीठों का अनुमोदन करण आवश्यक होगा।
- ✓ संघ को अपने वेबसाइट पर संघों की सफल सूचनाएं जैसे संघों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, सौख्य-संयुक्त, प्रशासन, सत्र किया जाने वाला शुल्क, आगामी शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संघ को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त पत्राचार उपलब्ध बनाने के साथ शिवांगी चौकरी को संयुक्त में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संघ यह सुनिश्चित करेगी कि संघों में प्रशासित/संचालित पारदर्शक जो चलाने जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराने गये अनिवार्य मुनि-मदन, कमीशन, उपकरण इत्यादि का यदि संघों द्वारा किसी अन्य पारदर्शक के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संघों उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उपरोक्त संघों की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुमोदन न किये जाने अवस्था शर्तों का उपलब्ध किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सा. आ. सं. सं. सं. सं.)
सचिव

पुस्तक- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तद दिनांक 15-06-2020

प्राथमिक-आगामी/निदेशक, सर्वप्रथम कौशल और कर्मसी, गीसाता चिनहट देवा रोड, लखनऊ।

(सा. आ. सं. सं. सं. सं.)
सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्दों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2723-SAMARPAN COLLEGE OF PHARMACY, GOSHLA, CHINHAT DEWA ROAD, LUCKNOW			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश

प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

- ✓ संस्था को (30प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 30प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 30प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।

✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SAMARPAN COLLEGE OF PHARMACY, GOSHLA, CHINHAT DEWA ROAD,
LUCKNOW



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव